बिहार विधान-सभा वादवृत

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)।

मंगलवार, तिथि १८ दिसम्बर, १९७३

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर : सभा-नियमावली के नियम ४ (२) के परन्तुक के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभामेज पर रखा जाना।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या : ६६, ६७, ६८ एवं ६९ — २—१०

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या। १४४, १४६, १४७, १५०, १५१, ६२८, ६६१, ६७४, एवं ६७५। — ११—४१

परिशिष्ट १ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : — ४२—९३

परिशिष्ट—२ तारांकित प्रश्न संख्या १५० से सम्बद्ध-सूची। — ९४

परिशिष्ट—३ षष्ठ बिहार विधान सभा के षष्ठ सत्र के ५५ अनागत तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा मेज पर रखे गये। — ९५—१७८

परिशिष्ट—४ षष्ठ बिहार विधान-सभा के षष्ठ सत्र के १४२ अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा मेज पर रखे गये। — १७९—४१७

परिशिष्ट—५ षष्ठ बिहार विधान-सभा के षष्ठ सत्र के ३९ अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा मेज पर रखे गये। — ४१८—४७०

दैनिक निबंध — ४७१-४७२

अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। अन्य कारखाने जहाँ न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं है वहाँ भी मजदूरों को उनके प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित मजदूरी दी जाती है जो साधारणतः २ रु० ५० पैसे से कम नहीं है।

पौधा संरक्षक के पद पर कार्रवाई।

ट-३१। **श्री बुन्देल पासवान, श्री बैरागी उरांव एवं श्री आजम**—क्या मन्त्री, कृषि विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग के आदेश संख्या १४६-आर०, राँची, दिनांक १३ अगस्त १९५३ के द्वारा कृषि विभाग की सेवाएँ कुल आठ कोटियों में वर्गीकृत हैं और एक कोटि के पदाधिकारी की सम्पुष्टि एवं स्थानान्तरण उसी कोटि में किया जा सकता है जिस कोटि से यह सम्बन्धित है ;

(२) क्या यह सही है कि पौधा संरक्षण पदाधिकारी, बिहार का पद कोटि पाँच में आता है ;

(३) क्या यह बात सही है कि डॉ० राम नारायण प्रसाद जो कि कोटि एक के हैं की पदस्थापना पौधा संरक्षण पदाधिकारी बिहार कोटि पाँच (५) के पद पर कृषि विभाग के पत्रांक १०२१३, दिनांक १५ जून, १९७३ के द्वारा उनसे अभ्यावेदन लेकर की गयी है यदि हाँ, तो क्यों तथा सरकार इस सम्बन्ध में कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मन्त्री, कृषि विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है। किन्तु विभाग ने वर्त्तमान कोटिकरण के समाप्त करने का निर्णय लिया है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) प्रश्न के प्रथम खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है चूँकि स्व० डॉ आर० बी० सिंह विराट, भूतपूर्व पौधा संरक्षण पदाधिकारी की असामयिक मृत्यु के कारण पौधा संरक्षण के कार्यों में बाधा उपस्थित हो रही थी, अतः डॉ० राम नारायण प्रसाद को कीट विज्ञान की योग्यता एवं अनुभव को देखते हुए उन्हें पौधा संरक्षण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। साथ ही विभाग ने कोटि समाप्त करने का निर्णय ले लिया है।